www.ecourtsindia.com

४.११.२०१५ -आदेश-

पुकार कराई गई। अभियुक्त दीपक के तरफ से जरिये अधिवक्ता हाजिरी माफी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो मात्र आज हेतु स्वीकृत हुआ। अन्य अभियुक्त जेरे हिरासत है। साक्षी पी० डब्लू–२ का० भूपेन्द्र सिंह को समन द्वारा आहूत किया गया था, परन्तु न तो आज साक्षी उपस्थित है और न ही कोई तामीला आख्या ही प्रस्तुत की गयी है। संबंधित पुलिसकर्मी का यह कर्तव्य उसके कर्तव्य पालन के प्रति लापरवाही को दर्शित करता है। इस संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु एस० एस० पी०,बुलन्दशहर को पत्र लिखा जावे। साक्षी भूपेन्द्र सिंह को पुनः समन से आहूत किया जावे। तामीला आख्या भी प्रस्तुत की जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–२४.११.२०१५ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,बुलन्दशहर।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBU010053392014/truecopy/order-1.pdf